



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकर्म)

U.P. Power Corporation Limited  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 592-औ०सं०-17/पाकालि/2026-11(05)ए०एस०/13

दिनांक: 28 फरवरी, 2026

## कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों को वेदान्ता हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेण्टर बिलरियागंज रोड़, लछिरामपुर, आजमगढ़ को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/29339/2025-PAUPPC-GMIROMDCL(2)/5/2025 दिनांक 30.10.2025 द्वारा हृदय (Heart Surgery, Angiography, Angioplasty, CABG, Valve Replacement, IVUS, Rotablator Procedure and their Implants से सम्बन्धित उपचार) के कौशलसेस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा/उपचार कराने हेतु दी गयी मान्यता के अनुक्रम में चिकित्सालय प्रबन्धन के पत्र सं०-VH/00354/UPPCL-2026 दिनांक 14.02.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-3330-औ०सं०/2018 दिनांक 08.08.2018 एवं पुनरीक्षित आदेशों में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं सी०जी०एच०एस० की स्वीकृत दरों में अस्पताल द्वारा 4 प्रतिशत की छूट देने की सहमति सहित अधोलिखित बीमारियों की कौशलसेस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा/उपचार कराने हेतु एतद्वारा द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है :-

1- CANCER

SURGERY, CHEMOTHERAPY, RADIOTHERAPY

2-BRAIN

TRAUMA(Head Injury)

TUMOUR

BRAIN HEMORRHAGE

SURGERY ON SPINAL CORD

3- KIDNEY

CHRONIC RENAL FAILURE (CRF)

ESRD

TRANSPLANT

DIALYSIS

4- GASTRO

ACUTE PANCREATITIS

GI BLEED

RUPTURE

SURGERY

5-MISCELLANEOUS

ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (ARDS)/COPD

GB SYNDROME

ENCEPHALITIS, DENGUE

VIRAL HEMORRHAGIC FEVER

MULTI ORGAN FAILURE

SERIOUS CONDITION REQUIRING VENTILATER

6-LAPAROSCOPIC SURGERY

7-JOINT REPLACEMENT SURGERY

KNEE JOINT REPLACEMENT

HIP JOINT REPLACEMENT

8- ACCIDENTAL INJURY

GRIEVOUS INJURY IN ACCIDENT

उक्त कैशलेस उपचार हेतु कारपोरेशन के आदेश सं०-2800-औसं/2012-11 (30)ए०एस०/2004 दिनांक 21.09.2012 एवं आदेश सं०-3277-औ०सं०/पाकालि/2019 दिनांक 21.09.2019 में उल्लिखित निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

1. प्राधिकार पत्र (Authorization Slip) के साथ आवश्यक सत्यापित प्रमाण-पत्र जैसे - सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की छायाप्रति आदि एवं पहचान-पत्र, नवीनतम वेतन पर्ची (Pay Slip) तथा आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण-पत्र एवं पुत्र/पुत्री की आयु का प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. कार्मिक के आश्रित माता पिता का उपचार/चिकित्सा कराने के मामलों में पहचान-पत्र तथा कारपोरेशन के आदेश सं०-6163-औ०सं०-17/पाकालि/03, दिनांक 05.01.2004 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कारपोरेशन के कार्मिक द्वारा आश्रित के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाओं सहित रू० 10/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. प्राधिकार पत्र (Authorization Slip) निर्गत करने वाले नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्मिक/पेंशनर के पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण प्राधिकार-पत्र के साथ प्रमाणित कर प्रेषित करना होगा, जिसमें जारी तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. उपचार पूर्ण हो जाने पर चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-4594-औ०सं०/2018 दिनांक 03.12.2018 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्मिक/रोगी की फोटो हस्ताक्षरों सहित अधिकृत चिकित्सक से सत्यापन उपरान्त बीजक के साथ कारपोरेशन (मु०) को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. हृदय की शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के इम्प्लान्ट्स की दरों एवं शर्तों के सम्बन्ध में आदेश सं०-3132-औ०सं०/2017 दिनांक 22.06.2017 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अस्पताल प्रबन्धन यह भी सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा बीजकों में अदेय सामग्री जैसे-विटामिन, टॉनिक आदि बीजक में सम्मिलित नहीं किये जायेगे, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज से स्वयं के व्यय पर खरीदकर मंगाई जा सकती है।
7. उपचार के उपरान्त अस्पताल से अवमुक्त होने पर रोगी के लिए आवश्यक होने पर अधिकतम 15 दिन की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य करायी जायेगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।
8. चिकित्सा व्यय क्रेडिट भुगतान एवं प्रतिपूर्ति के दावे मात्र उन्ही कार्मिकों व पेंशनर्स के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन में भुगतान हेतु स्वीकार किये जायेगें, जो उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों यथा-पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी /मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर के अन्तर्गत वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
9. उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा अन्य निगम की सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा वर्तमान में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों से पेंशन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है उनके मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति/क्रेडिट बीजक का दावा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान हेतु स्वीकार/अनुमन्य कराया जायेगा।
10. कैशलेस उपचार हेतु भर्ती रोगी की सूचना अस्पताल द्वारा (संलग्न प्रारूप में) भर्ती होने के 24 घण्टे के अन्दर कारपोरेशन की ई-मेल आई०डी० [cashless.treatment@uppcl.org](mailto:cashless.treatment@uppcl.org) पर ई-मेल किया जाये, ताकि आवश्यकतानुसार कारपोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त रोगी का भौतिक सत्यापन किया जा सके।
11. अस्पताल द्वारा रोगी के डिस्चार्ज होने के 03 दिन के अन्दर प्राधिकार पत्र, अनिवार्यता प्रमाण-पत्र, डिस्चार्ज समरी एवं बीजक की प्रति संलग्न कर कारपोरेशन को ई-मेल के द्वारा प्रेषित की जाये। कैशलेस उपचार से सम्बन्धित बीजक रोगी के डिस्चार्ज होने के एक माह के अन्दर कारपोरेशन को उपलब्ध कराये जायें।

12. कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0 दरों से अधिक बिलिंग और अनावश्यक जाचों, प्रक्रियाओं एवं दवाईयों की बिलिंग होने पर चिकित्सालय के लम्बित वर्तमान/भविष्य के बिलों से उक्त धनराशि काट ली जायेगी।

**निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)**

**संख्या:-592-(1) औस-17/पाकालि/2026/तददिनांक :-**

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
  2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/एस0एल0डी0सी0 लि0, विभूति खण्ड-2,गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
  3. निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।।
  4. निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0)/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।।
  5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
  6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जांच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
  7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
  8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
  9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
  10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
  11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
  12. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
  13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org-Medical/E-Book](http://www.uppcl.org-Medical/E-Book) पर अपलोड करने हेतु।
  14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
  15. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
  16. निदेशक, वेदान्ता हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेण्टर बिलरियागंज रोड, लछिरामपुर, आजमगढ़।
  17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
  18. कट फाइल।

*Janf*  
28-02-26

(लोकेन्द्र सिंह)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी